



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कादरी गेट

दिनांक :-23.11.2024

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा अभियुक्त को 01 तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ किया गिरफ्तार तथा गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर अन्य 02 तमंचे 12 बोर व 61 अदद कारतूस अलग-अलग बोर बरामद किये गये।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मोहम्मद अंजू पुत्र स्व0 बन्नू निवासी साहबजादगान चौकी बजरिया थाना मऊ दरवाजा जनपद फर्रुखाबाद को 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0 310/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त की निशादेही पर उसके घर से अन्य 02 तमंचे 12 बोर व 61 कारतूस अलग-अलग बोर के बरामद हुए कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मोहम्मद अंजू पुत्र स्वर्गीय बन्नू निवासी साहबजादगान चौकी बजरिया थाना मऊ दरवाजा जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने तमंचा और कारातूस प्रदान करने वाली का नाम बताया है जिसके बारे में तस्दीक व शिनाख्त करने का कार्य कादरीगेट पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण:-

1. कुल 03 अदद तमंचे जिसमें 01 अदद 315 बोर व 02 अदद 12 बोर
2. कुल 63 अदद कारातूस भिन्न भिन्न बोर

अभियुक्त मो० अन्जु उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०- 310/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट ।
2. मु०अ०सं० 126/18 धारा 147/323/452/504/506 भादवि थाना मऊदरवाजा ।

गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम :-

1. उ०नि० श्री कृष्ण कुमार कश्यप
2. आरक्षी रिकू चाहर
3. आरक्षी सुमित कुमार
4. आरक्षी गौरव
5. आरक्षी अंकुश देशवाल

मीडिया सेल फतेहगढ़।

थाना कायमगंज

दिनांक- 23.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त पिन्डू पुत्र राजवीर निवासी मो० प्रेमनगर थाना को० कायमगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-308/2021 बाद स०- 67/2022 धारा- 302 भा०द०वि० थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 23.11.2024 को मा० न्यायालय जिला एव सत्र न्यायालय फर्रू० द्वारा अभि० को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष 03 माह का कारावास व 10 हजार रू० के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।



डीजीसी- श्री सुदेश प्रताप गंगवार

एडीजीसी श्री श्रवण कुमार

कोर्ट मोहरीर हे०का० सुदेश यादव

पैरोकार उ०नि० सुभाष कुमार



